झारखण्ड सरकार,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,
(कृषि प्रभाग)

पत्रांकः 03/कृ0स0यो0-13/2022 22 राँची/दिनांकः- 18.06.2024

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी.,
सरकार के सचिव

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा : वित्त (आंतरिक वित्तीय सलाहकार) विभाग

विषयः- राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में मृदा एवं जल संरक्षण योजना अन्तर्गत बंजर भूमि/राईस फेलो विकास उपयोजना अन्तर्गत पाँच एकड़ से कम जल क्षेत्र वाले सरकारी/निजी तालाब का जीर्णोद्धार/गहरीकरण एवं जलनिधि उपयोजना अंतर्गत परकोलेशन टैंक निर्माण एवं डीप बोरिंग हेतु रु0 38000.00 लाख (तीन सौ अस्सी करोड़ रूपये) मात्र की अनुमानित लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

राज्य योजनान्तर्गत मृदा एवं जल संरक्षण योजना अंतर्गत बंजर भूमि/राईस फेलो विकास एवं जलनिधि महत्वकांक्षी चालू उपयोजनाएँ हैं। बंजर भूमि/राईस फेलो विकास उपयोजना अंतर्गत राज्य के सभी जिलो में विशेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत पाँच एकड़ से कम जलक्षेत्र वाले सरकारी/निजी तालाब, जिनका सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा है, का मशीनों द्वारा जीर्णोद्धार/गहरीकरण का कार्य कराया जाता है तथा जलनिधि उपयोजना अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु परकोलेशन टैंक निर्माण एवं डीप बोरिंग का कार्य कराया जाता है।

2. गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मृदा एवं जल संरक्षण योजना अंतर्गत बंजर भूमि/राईस फेलो विकास एवं जलनिधि उपयोजना के कार्यन्वयन हेतु कुल राशि रु0 50000.00 लाख (पाँच सौ करोड़ रु0) की स्वीकृति दी गई थी।

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में मृदा एवं जल संरक्षण योजना अंतर्गत कुल राशि रु0 38000.00 लाख (तीन सौ अस्सी करोड़ रूपये) मात्र का बजटीय उपबंध है।

4. वित्तीय वर्ष 2024-25 में मृदा एवं जल संरक्षण योजना अंतर्गत बंजर भूमि/राईस फेलो विकास एवं जलनिधि उपयोजना के कार्यन्वयन हेतु कुल राशि रु0 38000.00 लाख (तीन सौ अस्सी करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृत राशि की निकासी निम्न वर्णित बजटीय शीर्षान्तर्गत की जायेगीः-

राशि (लाख रु0 में)

क्र0	बजट शीर्ष	कुल बजटीय उपबंध	बंजर भूमि राईस फेलो विकास उपयोजना हेतु विकलनीय राशि	जलनिधि उपयोजना हेतु विकलनीय राशि	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	मुख्यशीर्ष-4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उपशीर्ष-03-मृदा तथा जल संरक्षण योजना उपयोजनाशीर्ष-01-मृदा तथा जल संरक्षण योजना विस्तृतशीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य 01S44020079603010545	22800.00	10800.00	12000.00	22800.00
2.	मुख्यशीर्ष-4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय लघुशीर्ष-102-मृदा संरक्षण उपशीर्ष-03-मृदा तथा जल संरक्षण योजना उपयोजनाशीर्ष-01-मृदा तथा जल संरक्षण योजना विस्तृतशीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य 01S44020010203010545	11400.00	5400.00	6000.00	11400.00
3.	मुख्यशीर्ष-4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना उपशीर्ष-03-मृदा तथा जल संरक्षण योजना उपयोजनाशीर्ष-01-मृदा तथा जल संरक्षण योजना विस्तृतशीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य 01S44020078903010545	3800.00	1800.00	2000.00	3800.00
	योग	38000.00	18000.00	20000.00	38000.00

38000.00 लाख (तीन सौ अस्सी करोड़ रूपये) मात्र।

बंजर भूमि/राईस फैलो विकास उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु शर्त्ते/प्रावधान :-

5. इस योजनान्तर्गत तालाबों का गहरीकरण/जीर्णोद्धार से पूर्व Dumpy Level/Auto Level से तालाब का Pre Level/Real Time Status लेते हुए तालाबों की विस्तृत प्राक्कलन तैयार करते हुए सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। सरकारी एवं निजी तालाबों के लिए निम्नांकित मापदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः-

(i) योजना हेतु तालाबों का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जायेगा। जिला के लिए निर्धारित लक्ष्य में से 75 प्रतिशत तालाबों का जीर्णोद्धार/गहरीकरण संबंधित क्षेत्र के मा० स्थानीय विधायक के द्वारा ग्राम सभा के द्वारा चयनित योजनाओं में से अनुशंसा के आधार पर प्राथमिकता का निर्धारण किया जायेगा एवं तदोपरांत जिला/प्रखण्ड के लिए लक्ष्य एवं राशि की उपलब्धता के आलोक में संबंधित जिला के उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत तालाबों का जीर्णोद्धार/गहरीकरण ग्राम सभा द्वारा चयनित योजनाओं में संबंधित जिला के उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। जिसमें जिला मतस्य पदाधिकारी के अधीन सरकारी तालाब के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता दी जायेगी। सूची प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपायुक्त द्वारा अनुमोदन दिया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) ऐसे तालाबों से न्यूनतम 8 से 10 हेक्टेयर भूमि के पटवन सुविधा की क्षमता होनी चाहिए।

(iii) प्रस्तावित तालाबों में विगत 05 (पाँच) वर्षों के दौरान उक्त योजना का किसी अन्य विभाग की सदृश्य योजना के अंतर्गत मरम्मति/जीर्णोद्धार कार्य नहीं किया गया हो।

(iv) प्रस्तावित तालाब का न्यूनतम क्षेत्रफल 1 (एक) एकड़ तथा अधिकतम 5 (पाँच) एकड़ हो।

(v) प्राक्कलित राशि का 90 प्रतिशत राज्य सरकार एवं शेष 10 प्रतिशत विधिवत गठित पानी पंचायत के सदस्य कृषकों के अंशदान के रुप में भारित होगा।

(vi) योजना का कार्यान्वयन विभागीय पत्रांक-2250 दिनांक-24.08.2011 के आलोक में विधिवत गठित पानी पंचायत के द्वारा किया जायेगा।

6. पाँच एकड़ से कम जल क्षेत्र वाले निजी तालाबों, जिनका सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा है, के जीर्णोद्धार/गहरीकरण की स्वीकृति हेतु कंडिका-5 के अलावा निम्नांकित शर्त्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(i) अंचलाधिकारी के द्वारा तालाब के स्वामित्व का प्रमाणीकरण प्राप्त करने के पश्चात ही योजना स्वीकृत की जायेगी।

(ii) लाभुक द्वारा शपथ पत्र दिया जायेगा कि इसके जल का सार्वजनिक उपयोग होता रहेगा।

(iii) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

(iv) निजी तालाब जीर्णोद्धार हेतु तालाब मालिक की सहमति एवं तालाब के सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रतिबद्धता के संबंध में शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा। शपथ पत्र में ही इस आशय का स्पष्ट उल्लेख होगा की संचित जल का सार्वजनिक उपयोग करने में बाधा उत्पन्न नहीं की जायेगी।

(v) ग्राम सभा द्वारा निजी तालाबों के चयन में इस आशय का ध्यान रखा जायेगा कि तालाब में संचित जल का उपयोग सिंचाई कार्य में सार्वजनिक रुप से करने में (पानी पंचायत के सदस्यों द्वारा) कोई बाधा नहीं होगी।

(vi) निजी तालाब का जीर्णोद्धार में जमीन खाताधारी/भू-धारी का मालिकाना/स्वामित्व बना रहेगा। इस योजना में जमीन अधिग्रहण करने का कोई प्रावधान लागू नहीं होगा।

(vii) जिलावार स्वीकृत कुल तालाबों में निजी तालाबों की अधिसीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

22
18-06-2024

7. योजना आरंभ करने के पूर्व योजना स्थल का पानी पंचायतों के साथ रंगीन फोटोग्राफ (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, योजना कार्यान्वयन के दौरान एवं योजना पूर्ण होने के उपरांत) लेकर योजना स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर योजना अभिलेख में अंकित किया जायेगा। योजना अभिलेख में तालाब की वर्त्तमान स्थिति, सिंचित क्षेत्र, फसल उत्पादन की स्थिति अंकित करते हुए इस आशय का उल्लेख किया जायेगा कि योजना पूर्ण होने के उपरांत सिंचित क्षेत्र में कितना विस्तार होगा एवं फसल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। योजना पूर्ण होने के उपरांत योजना अभिलेख में पूर्ण योजना का रंगीन फोटोग्राफ पानी पंचायत के सदस्यों के साथ लेकर अंकित किया जायेगा।

8. इस योजनान्तर्गत राशि का भुगतान, पानी पंचायत का अंशदान 10% की राशि निर्धारित बैंक A/c में प्राप्त होने संबंधी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात ही किये गये कार्य कि विरुद्ध मापी पुस्त के आधार पर तैयार विपत्र के अनुसार किया जायेगा।

9. कार्यान्वयन हेतु मशीन इत्यादि की व्यवस्था पानी पंचायत के द्वारा की जायेगी।

10. योजना स्थल पर कार्यान्वयन प्रारंभ करने के साथ योजना संबंधी बोर्ड (ईट सिमेंट से निर्मित) लगाया जायेगा। जिसमें योजना संबंधी सम्पूर्ण विवरणी स्पष्ट रुप से अंकित की जायेगी।

11. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में निरीक्षण/अनुश्रवण/फोटोग्राफी/बीडियोग्राफी/योजना संबंधी बोर्ड (ईट सिमेंट से निर्मित) एवं योजना की जानकारी हेतु दिवाल लेखन/फलैक्स बोर्ड इत्यादि पर व्यय करने हेतु प्रति योजना इकाई रु0 7500.00 (सात हजार पाँच सौ रु0) मात्र की आकस्मिकता मद की निधि का प्रावधान किया जायेगा।

12. इस उपयोजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-I के रुप में संलग्न है।

13. इस योजना के कार्यान्वयन के उपरांत संग्रहित जल का उपयोग कृषि कार्यो में सिंचाई के साथ साथ मत्स्य पालन हेतु भी किया जायेगा। तदनुसार निदेशक, भूमि संरक्षण ऐसी योजनाओं की विवरणी निदेशक मत्स्य को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायेंगे।

14. योजना का कार्यान्वयन पूर्ण होने के उपरांत योजना से मिलने वाले लाभ को गुणात्मक ढँग से बढ़ाने हेतु विभिन्न योजना यथा-राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट (सुक्ष्म सिंचाई योजना), विभिन्न प्रत्यक्षण योजना आदि के साथ अभिसरण (Convergence) हेतु निदेशक, भूमि संरक्षण, कृषि निदेशक एवं निदेशक, उद्यान के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।

15. योजना के कार्यान्वयन में विभागीय संकल्प सं0-3172 दिनांक 25.10.2012 एवं आदेश सं0-3688 दिनांक-05.10.2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. सभी तालाबो की Geo Tagging अनिवार्य रुप से की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

<u>जलनिधि उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु शर्त्ते/प्रावधान :-</u>

17. यह योजना झारखण्ड के सभी जिलों में कार्यान्वित होगी। इस योजनान्तर्गत डीप बोरिंग एवं परकोलेशन टैंक का निर्माण कराया जायेगा। योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषक समूहों को योजना से आच्छादित किया जायेगा। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कृषक समूहों को 90 प्रतिशत अनुदान की राशि उपलब्ध कराया जायेगा।

18. निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची द्वारा इस योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एक मानक प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। जिस पर सक्षम स्तर से तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

19. प्रासंगिक योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट-II** के रुप में संलग्न है।

20. योजना आरम्भ करने के पूर्व योजना स्थल का पानी पंचायतों के साथ रंगीन फोग्राफ (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, योजना कार्यान्वयन के दौरान एवं योजना पूर्ण होने के उपरांत) लेकर योजना स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर योजना अभिलेख में अंकित किया जायेगा। योजना पूर्ण होने के उपरांत योजना अभिलेख में पूर्ण योजना का रंगीन फोटोग्राफ पानी पंचायत के सदस्यों के साथ लेकर अंकित किया जायेगा। साथ ही साथ इस योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो का Geo Tagging अनिवार्य रुप से की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

18.06.2024

21. <u>योजना का स्वरुप</u>

राज्य के कृषकों को सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराने हेतु योजना का स्वरुप निम्नवत है:-

i. डीप बोरिंग की योजना

कार्य योजना	पात्रता	अनुदान की राशि		
		अनुमानित योजना लागत प्रति इकाई	अधिकतम अनुदान की राशि	पानी पंचायत अंशदान की राशि
1	2	3	4	5
योजना अंतर्गत 6 ईंच Diameter deep boring, submersible pump 1.5 HP, आवश्यक Accessories एवं संस्थापन (Installation) के साथ	योजना लघु एवं सीमान्त कृषक समूहों के लिए लागू होगा। जिससे विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में विधिवत् पानी पंचायत का गठन कर इसका कार्यान्वयन कराया जायेगा। समिति के सदस्यों के पास कलस्टर में न्यूनतम 5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य होगा।	3.50 लाख	90 प्रतिशत (3.15 लाख)	10 प्रतिशत (0.35 लाख)

ii. परकोलेशन टैंक

कार्य योजना	पात्रता	अनुदान की राशि		
1	2	अनुमानित योजना लागत प्रति इकाई	अधिकतम अनुदान की राशि	कृषक समूह का अंशदान की राशि
Length of Percolation Tank 120 ft. width of Percolation Tank 100 ft. Depth of Percolation Tank 12ft Length of Bound-370ft Side Slope-1:1	योजना लघु एवं सीमान्त कृषक समूहों के लिए लागू होगा। जिससे विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में विधिवत् पानी पंचायत का गठन कर इसका कार्यान्वयन कराया जायेगा। समिति के सदस्यों के पास कलस्टर में न्यूनतम 10 एकड़ भूमि होना अनिवार्य होगा।	4.30 लाख	90 प्रतिशत (3.87 लाख)	10 प्रतिशत (0.43 लाख)

22. डीप बोरिंग एवं परकोलेशन टैंक के लिए अनुमानित इकाई लागत एवं मानक प्राक्कलन के बाद निर्धारित इकाई लागत की राशि में भिन्नता होने की स्थिति में अनुमानित इकाई लागत से कम लागत राशि होने पर वास्तविक लागत राशि के अनुसार अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा तथा अनुमानित इकाई लागत से अधिक लागत राशि होने पर अधिकाय राशि का वहन लाभुक/पानी पंचायत के द्वारा किया जायेगा।

23. <u>कृषक/संस्था का चयन</u>

23.1 <u>चयन</u>

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु/सीमांत कृषक/महिला कृषकों/इच्छुक कृषक समूहों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

(ii) जिन कृषक समूहों को पूर्व में डीप बोरिंग एवं परकोलेशन टैंक का लाभ प्राप्त हो चुका है, उनकी पात्रता डीप बोरिंग एवं परकोलेशन टैंक निर्माण के लिए मान्य नहीं होगी।

(iii) योजना के कार्यान्वयन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी एवं ग्राम सभा द्वारा चयनित योजनाओं तथा माननीय स्थानीय विधायक कि अनुशंसा को प्राथमिकता दी जायेगी।

23.2 <u>आवेदन की प्राप्ति</u>

(i) संबंधित जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण पदाधिकारी के माध्यम से कृषक/ कृषक समूह द्वारा योजना के संदर्भ में आवेदन किया जा सकेगा। अर्हत्ता रखने वाले आवेदक लघु एवं सीमान्त कृषकों का समूहों का गठन जिल भूमि संरक्षण पदाधिकारी/ भूमि संरक्षण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(ii) संबंधित जिला के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी द्वारा जिला के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध सुपात्र कृषकों से विहित प्रपत्र-i (संलग्न) में आवेदन प्राप्त किया जाएगा।

10)

29
18.06.2024

(iii) संबंधित जिला के सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण द्वारा इच्छुक कृषकों को निःशुल्क आवेदन पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेवसाईट **www.jharkhand.gov.in/agri** अथवा **www.sameti.org** पर भी उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि कृषकों को आवेदन पत्र आसानी से उपलब्ध हो सकें।

23.3 <u>आवेदन पत्र की जाँच एवं स्वीकृति</u>

(i) कृषकों से प्राप्त आवेदन पत्र की जांच सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी द्वारा की जाएगी तथा विहित प्रपत्र में सूचनाएँ अंकित करते हुए उक्त जिला हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध पात्रता की शर्त्तों के अनुरूप जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण से स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

23.4 प्रचार–प्रसार :

(i) व्यापक प्रचार–प्रसार दैनिक समाचार पत्रों, रेडियो, इलेक्ट्रोनिक मिडिया, पम्पलेट इत्यादि के माध्यम से किया जायेगा।

(ii) जिला स्तर के मुख्य कार्यालय भवनों यथा जिला समाहरणालय, भूमि संरक्षण कार्यालय, जिला कृषि कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर होर्डीग लगाकर प्रचार–प्रसार किया जायेगा जिसमें योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) जिला के सभी प्रखण्ड मुख्यालय, कृषि, विकास शिविर स्थल, पंचायत मुख्यालय स्थल आदि में भी फलैक्स बोर्ड लगाकर प्रचार–प्रसार किया जायेगा, जिसमें योजना से लाभ, लागत, उपयोगिता आदि से परिचित कराया जायेगा।

(iv) जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी प्रचार–प्रसार मद, अन्य उपलब्ध राशि से प्रचार–प्रसार करेंगे जिसमें **Leaflets** छपवाकर गांव, पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर प्रचूर मात्रा में कृषकों के बीच वितरित करना सुनिश्चित करेंगे।

23.5 **अनुदान/भुगतान की प्रक्रिया :–**

पानी पंचायत का अंशदान 10 प्रतिशत की राशि प्राप्त होने संबंधी प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात ही लाभुक कृषक समूह द्वारा गठित पानी पंचायत के खाते में अनुदान की राशि Account Payee Cheque/RTGS द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

<u>सामान्य अनुदेश–</u>

24. निदेशक भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची दोनो उपयोजनाओं के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। सभी जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/सभी संबंधित भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सभी संबंधित भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी दोनो उपयोजनाओं के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिलो के जिला कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी।

25. इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्तीय नियमावली एवं कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों तथा समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों तथा अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

26. योजना के कार्यान्वयन में राशि का व्यय वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा, जो स्वीकृत राशि के अन्तर्गत होगा। राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जायेगा तथा प्रगति प्रतिवेदन ससमय समर्पित किया जायेगा।

29
18.06.2024

27. इस योजनान्तर्गत दोनों योजनाओं के जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार यदि किसी जिला में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति किसी कारणवश सम्भव नही हो पाती है तो उस परिस्थिति में विभागीय सचिव के अनुमोदनोपरान्त दूसरे जिला को उक्त भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित की जा सकेगी। किसी जिला में योजना कार्यान्वयन के पश्चात् अवशेष राशि से उसी जिला में अतिरिक्त भौतिक लक्ष्य निदेशक, भूमि संरक्षण के निदेशानुसार प्राप्त किया जा सकता है।

28. योजनाओं का सघन निरीक्षण एवं अनुश्रवण उप निदेशक, भूमि संरक्षण/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

29. योजना की प्रगति की समीक्षा विभिन्न चरणों में समय-समय पर संबंधित उपायुक्त/जिला परिषद/निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची/उप निदेशक, भूमि संरक्षण, राँची/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण, हजारीबाग द्वारा की जायेगी एवं प्रतिवेदन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

30. योजना के कार्यान्वयन में विभागीय संकल्प सं0-3172, दि0-25.10.2012 तथा 3688, दि0-05.10.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का प्रत्यायोजित शक्तियों के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

31. दोनो उपयोजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन का कार्य जैसमीन, राँची के द्वारा कराया जायेगा।

32. दोनो उपयोजनाओं का सघन निरीक्षण एवं अनुश्रवण उप निदेशक, भूमि संरक्षण/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

क्र सं0	पदाधिकारी	निरीक्षण	योजनावार निरीक्षण की सं0
1	सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी	100 प्रतिशत योजनाओ	न्यूनतम 4 (चार)
2	भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी	100 प्रतिशत योजनाओ	न्यूनतम 3 (तीन)
3	जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण, हजारीबाग	100 प्रतिशत योजनाओ	न्यूनतम 2 (दो)
4	उप निदेशक, भूमि संरक्षण	5 प्रतिशत योजनाओ	न्यूनतम 1 (एक)
5	निदेशक, भूमि संरक्षण	1 प्रतिशत योजनाओ	न्यूनतम 1 (एक)

प्रत्येक निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित योजना अभिलेख में अंकित किया जायेगा।

33. योजना कार्यान्वयन के व्यय से संबंधित सम्पूर्ण लेखा का संधारण निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निकासी/व्यय की गई राशि से संबंधित लेखा का पूर्ण ब्यौरा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। इसकी जाँच/मूल्यांकन सक्षम स्तर से किया जा सकेगा।

प्रत्येक योजना अभिलेख में लघु एवं सीमान्त कृषक समूह के संदर्भ में पूरी जानकारी, आधार नम्बर, रंगीन फोटोग्राफ (योजना कार्य प्रारम्भ से पूर्व, योजना कार्यान्वयन के दौरान एवं योजना पूर्ण होने के उपरांत), सिंचाई की वर्तमान स्थिति, खेती की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ योजना पूर्ण होने के उपरांत सिंचित क्षेत्र में होने वाले वृद्धि, खेती के पैटर्न, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता पर पडने वाले प्रभाव के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करेंगे। योजना अभिलेख में पूर्ण प्रतिवेदित योजना का संबंधित कृषक समूहों के साथ रंगीन फोटोग्राफ अंकित किया जायेगा। अभिलेख में योजना स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर अंकित किया जायेगा।

10)

22
18.06.2024

34. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि वे यह देखें की जिस योजना या कार्य के लिए राशि की निकासी की जा रही है उसे किसी अन्य श्रोत से राशि मिल रही हो या मिलने वाली हो तो उसके निराकरण हेतु उस राशि की निकासी रोक कर विभाग एवं संबंधित पदाधिकारी को अविलम्ब इसकी सूचना देंगे।

35. योजना कार्यान्वयन में योजनाओं का अलग-अलग अभिलेख, मापी पुस्त इत्यादि का तथा योजना पर व्यय से संबंधित सम्पूर्ण लेखा का संधारण निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा अंकेक्षण संबंधित आपत्तियों का निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा।

36. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-1269 दि0-21.09.2023 की कंडिका-9.4 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत की जा रही है।

37. योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

38. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः-03/कृ0रा0यो0-13/2022 22 -/राँची, दिनांकः- 18.06.2024

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः-03/कृ0रा0यो0-13/2022 22 -/राँची, दिनांकः- 18.06.2024

प्रतिलिपि :- निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के अलावा स्वीकृत्यादेश की प्रति उनके ई-मेल आई0डी0 dirsoiljhr@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेवसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः-03/कृ0रा0यो0-13/2022 22 -/राँची, दिनांकः- 18.06.2024

प्रतिलिपि :- मा0मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर निदेशक-सह-अपर सचिव/संयुक्त सचिव (योजना)/आंतरिक वित्तिय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/ निदेशक भूमि संरक्षण/संयुक्त कृषि निदेशक (अभि0), भूमि संरक्षण निदेशालय, झारखण्ड, राँची/उप निदेशक, भूमि संरक्षण, राँची/सभी संबंधित सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/संबंधित सभी जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/संबंधित सभी भूमि संरक्षण पदाधिकारी/संबंधित सभी भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी योजना एवं बजट शाखा-3, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

परिशिष्ट–II

ज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में मृदा एवं जल संरक्षण योजनान्तर्गत जलनिधि उपयोजना अन्तर्गत परक
के निर्माण एवं डीप बोरिंग का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

क्र0	जिला का नाम	परकोलेशन टैंक			डीप बोरिंग			प्रचार–प्रसार की राशि	राशि कुल रा (4+7+9)
		भौतिक लक्ष्य	अधिकतम अनुदान की राशि (90%–3.87 लाख)	पानी पंचायत अंशदान की राशि (10%–0.43 लाख)	भौतिक लक्ष्य	अधिकतम अनुदान की राशि (90%–3.15 लाख)	पानी पंचायत अंशदान की राशि (10%–0.35 लाख)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राँची	250	967.50000	107.50000	101	318.15000	35.35000	0.67000	1286.3200(
2	खूँटी	155	599.85000	66.65000	54	170.10000	18.90000	0.67000	770.62000
3	लोहरदगा	136	526.32000	58.48000	40	126.00000	14.00000	0.67000	652.99000
4	सिमडेगा	156	603.72000	67.08000	40	126.00000	14.00000	0.67000	730.39000
5	गुमला	168	650.16000	72.24000	53	166.95000	18.55000	0.67000	817.78000
6	पू0 सिंहभूम	185	715.95000	79.55000	63	198.45000	22.05000	0.67000	915.07000
7	सरायकेला–खरसावां	122	472.14000	52.46000	54	170.10000	18.90000	0.67000	642.91000
8	प0 सिंहभूम	237	917.19000	101.91000	79	248.85000	27.65000	0.67000	1166.71000
9	लातेहार	156	603.72000	67.08000	40	126.00000	14.00000	0.67000	730.39000
10	दुमका	227	878.49000	97.61000	103	324.45000	36.05000	0.67000	1203.61000
11	साहेबगंज	212	820.44000	91.16000	89	280.35000	31.15000	0.67000	1101.46000
12	पाकुड़	158	611.46000	67.94000	57	179.55000	19.95000	0.67000	791.68000
13	जामताड़ा	160	619.20000	68.80000	54	170.10000	18.90000	0.67000	789.97000
14	गोड्डा	78	301.86000	33.54000	31	97.65000	10.85000	0.59000	400.10000
	योग टी0एस0पी0	**2400**	**9288.00000**	**1032.00000**	**858**	**2702.70000**	**300.30000**	**9.30000**	**12000.0000**
1	देवघर	136	526.32000	58.48000	79	248.85000	27.65000	0.42270	775.59270
2	गोड्डा	108	417.96000	46.44000	33	103.95000	11.55000	0.42270	522.33270
3	गढ़वा	114	441.18000	49.02000	46	144.90000	16.10000	0.42270	586.50270
4	पलामू	123	476.01000	52.89000	39	122.85000	13.65000	0.42270	599.28270
5	हजारीबाग	111	429.57000	47.73000	38	119.70000	13.30000	0.42270	549.69270
6	रामगढ़	90	348.30000	38.70000	31	97.65000	10.85000	0.42270	446.37270
7	चतरा	108	417.96000	46.44000	33	103.95000	11.55000	0.42270	522.33270
8	कोडरमा	84	325.08000	36.12000	31	97.65000	10.85000	0.42270	423.15270
9	गिरिडीह	108	417.96000	46.44000	37	116.55000	12.95000	0.42300	534.93300
10	बोकारो	109	421.83000	46.87000	31	97.65000	10.85000	0.42270	519.90270
11	धनबाद	109	421.83000	46.87000	31	97.65000	10.85000	0.42270	519.90270
	योग ओ0एस0पी0	**1200**	**4644.00000**	**516.00000**	**429**	**1351.35000**	**150.15000**	**4.65000**	**6000.00000**
1	देवघर	80	309.60000	34.40000	28	88.20000	9.80000	0.31000	398.11000
2	पलामू	80	309.60000	34.40000	29	91.35000	10.15000	0.31000	401.26000
3	हजारीबाग	80	309.60000	34.40000	29	91.35000	10.15000	0.31000	401.26000
4	चतरा	80	309.60000	34.40000	29	91.35000	10.15000	0.31000	401.26000
5	गिरिडीह	80	309.60000	34.40000	28	88.20000	9.80000	0.31000	398.11000
	योग एस0सी0एस0पी0	**400**	**1548.00000**	**172.00000**	**143**	**450.45000**	**50.05000**	**1.55000**	**2000.00000**
	कुल योग (TSP+OSP+SCSP)	4000	15480.00000	1720.00000	1430	4504.50000	500.50000	15.50000	20000.0000

रु0 20000.00 लाख (दो सौ करोड़ रूपये) मा

22
18.06.2024

सरकार के सचिव

परिशिष्ट–I

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में मृदा एवं जल संरक्षण योजना अन्तर्गत बंजर भूमि/राईस फेलो विकास उपयोजना अन्तर्गत पाँच एकड़ से कम जल क्षेत्र वाले सरकारी/निजी तालाब का जीर्णोद्धार/गहरीकरण हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना (टी0एस0पी0) राशि लाख में।

क्र0	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4
1	राँची	66	990.00000
2	खूँटी	37	555.00000
3	लोहरदगा	39	585.00000
4	गुमला	50	750.00000
5	सिमडेगा	49	735.00000
6	पू0 सिंहभूम	56	840.00000
7	सरायकेला–खरसांवा	45	675.00000
8	प0 सिंहभूम	64	960.00000
9	लातेहार	43	645.00000
10	दुमका	73	1095.00000
11	साहेबगंज	64	960.00000
12	पाकुड़	55	825.00000
13	जामताड़ा	51	765.00000
14	गोड्डा (बोआरीजोर सहित)	28	420.00000
	योग	**720**	**10800.00000**
मृदा संरक्षण (ओ0एस0पी0)			
1	देवघर	50	750.00000
2	गोड्डा	27	405.00000
3	गढ़वा	37	555.00000
4	पलामू	26	390.00000
5	हजारीबाग	30	450.00000
6	रामगढ	28	420.00000
7	चतरा	28	420.00000
8	कोडरमा	30	450.00000
9	गिरिडीह	32	480.00000
10	बोकारो	36	540.00000
11	धनबाद	36	540.00000
	योग	**360**	**5400.00000**
अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एस0सी0एस0पी0)			
1	देवघर	24	360.00000
2	पलामू	24	360.00000
3	हजारीबाग	24	360.00000
4	चतरा	24	360.00000
5	गिरिडीह	24	360.00000
	योग	**120**	**1800.00000**
	कुल योग (TSP+OSP+SCSP)	**1200**	**18000.00000**

रु0 18000.00 लाख (एक सौ अस्सी करोड़ रु0) मात्र।

29
18.06.2024

सरकार के सचिव

प्रपत्र – I

जलनिधि

Deep Boring, Percolation Tank हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

जिला का नाम– ग्राम– प्रखण्ड–

पंचायत–

आवेदक का नाम– पिता/पति का नाम–

संस्था का नाम (सामूहिक आवेदनकर्त्ता हेतु)–

संस्था का अध्यक्ष/सचिव का नाम (सामूहिक आवेदनकर्त्ता हेतु)– आवेदक का फोटोग्राफ

कृषक श्रेणी (अ0ज0जा0/अ0जा0/सामान्य)–

मोबाईल नं0–

भू धारिता संबंधी विवरणी–

जिला– प्रखण्ड– ग्राम–

खाता नं0– कुल रकबा–

रकबा (जिसमें सिंचाई किया जाना है)–

उर्जा आपूर्ति के श्रोत–

(i) विद्युत (ii) डीजल

(iii) पेट्रॉल (iv) केरोसीन

Deep Boring, Percolation Tank का कार्य करने वाली संस्था का नाम–

निर्माण उपलब्धता का श्रोत–

(i) स्वयं (ii) बैंक ऋण

अनुदान की राशि जमा करने हेतु बैंक खाता की विस्तृत जानकारी–

(i) खाता नं0– (ii) खाता धारक का नाम–

(iii) बैंक का नाम– (iv) बैंक शाखा का नाम–

(v) IFSC Code

घोषणा पत्र

मैं आवेदनकर्त्ता .... पिता.............................. ग्राम..प्रखण्ड............ .... जिला.............................. घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दिया गया ब्यौरा सही है एवं योजना के संबंध में विभाग द्वारा दिये गये योजना कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन का पूर्ण रूप से पालन करूँगा एवं कृषक अनुदान की राशि संबंधित कार्यकारी एजेंसी/आपूर्तिकर्त्ता को उपलब्ध करा दूँगा।

दिनांक–

स्थान– आवेदकों का हस्ताक्षर

मैं आवेदक कृषक.................................. पिता.................................... ग्राम...................प्रखण्ड............ .... जिला............................ को विगत .... वर्ष से जानता हूँ। आवेदक कृषक खाता नं0......... .... पर डीप बोरिंग कराना चाहता हूँ। ताकि कृषि उत्पादन हेतु सिंचाई कर सकें। मैं डीप बोरिंग कराने हेतु अनुशंसा करता हूँ।

सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/
क्षेत्र पर्यवेक्षक (भूमि संरक्षण)/विधिवत प्राधिकृत कर्मी

मुखिया/पंचायत प्रतिनिधि

प्रपत्र -- II

सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी, क्षेत्र पर्यवेक्षक/विधिवत् प्राधिकृत कर्मी का सत्यापन प्रारूप

(A) लाभान्वित का ब्यौरा

1. जिला का नाम-
2. प्रखण्ड-
3. पंचायत-
4. ग्राम-
5. आवेदक का नाम-
6. पिता/पति का नाम-
7. आवेदक श्रेणी-
8. मोबाईल नं0-

(B) भूमि धारिता ब्यौरा/स्थल का ब्यौरा

1. खाता नं0-
2. प्रखण्ड-
3. पंचायत-
4. ग्राम-
5. प्लॉट सं0-
6. खाता सं0-
7. सिंचाई करने वाले क्षेत्रफल-
8. अक्षांश-
9. देशांतर-

(C) किये जाने वाले का ब्यौरा

1. ऊर्जा का श्रोत-
2. वित्तीय श्रोत-स्वयं/बैंक ऋण-

(C) बैंक का ब्यौरा

1. खाता सं0-
2. बैंक का नाम-
3. बैंक शाखा का नाम-
4. IFSC Code

प्रस्तावित स्थल पर लाभान्वित का फोटोग्राफ

स0भू0सं0पदा0/क्षेत्र पर्यवेक्षक का मंतव्य

उक्त प्रस्तावित डीप बोरिंग/परकोलेशन टैंक का स्थल के 200 मी0 की दूरी के दायरा में कोई भी तालाब/परकोलेशन टैंक/डोभा/नदी/नाला/आहर नहीं है। देशांतर एवं अक्षांश का आँकड़ा मेरे समक्ष/द्वारा लिया गया है।

क्षेत्र पर्यवेक्षक/विधिवत् प्राधिकृत कर्मी

सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 593

पत्रांक संख्या :- 22

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 18/06/2024

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

ABOOBACKER SIDDIQUE P.
SECRETARY

AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND COOPERATIVE, NEPAL HO

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।

द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में मृदा एवं जल संरक्षण योजना अन्तर्गत बंजर भूमि/राईस फेलो विकास उपयोजना अन्तर्गत पाँच एकड़ से कम जल क्षेत्र वाले सरकारी/निजी तालाब का जीर्णोद्धार/गहरीकरण एवं जलनिधि उपयोजना अन्तर्गत परकोलेशन टैंक निर्माण एवं डीप बोरिंग हेतु रू. 38000.00 लाख (तीन सौ अस्सी करोड़ रूपये) मात्र की अनुमानित लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 01 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के, राज्य स्कीम
मुख्यशीर्ष - 4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
उपमुख्य शीर्ष - 00-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
राज्य योजना

136.233.39.229

Run Date: 18/06/2024

लघुशीर्ष	राशि
102-मृदा संरक्षण	□1,14,00,00,000.00
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	□38,00,00,000.00
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	□2,28,00,00,000.00
कुलराशि :-	□3,80,00,00,000.00

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
01S440200796030545	03 - मृदा तथा जल संरक्षण योजना	45 - निर्माण कार्य	
01S440200102030545		45 - निर्माण कार्य	
01S440200789030545		45 - निर्माण कार्य	

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

136.233.39.229

Run Date: 18/06/2024